

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री ईश्वरसिंह राठौड

तारीख रजू— 02/01/2015

प्रकरण संख्या 15/15
प्रकरण नाम/व्यक्ति का नाम/जाति मीना निवासी ग्राम जोला तहसील चौथ का बरवाडा। —अपीलार्थी
बनाम
प्रकरण नाम/तहसीलदार, चौथ का बरवाडा। —रेस्पो0

निर्णय

दिनांक— 14/03/15

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब कमिश्नर का बरवाडा द्वारा मिसल संख्या 988/13 में पारित आदेश दिनांक 26/02/13 के विरुद्ध जिला कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी को ग्राम जोला की आराजी खसरा नम्बर 1321/1630 रकवा 0.35 हेक्टर किस्म बरानी-1 पर संवत् 2069 रबी में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करने का आदेश मुझे से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के साथ साथ अपीलार्थी को अतिक्रमण अतिक्रमण मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया है।

आदेश प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलार्थी को संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय न्यायालय के आदेश तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण निस्तारण हेतु राष्ट्रीय न्यायालय में रखा गया।

अपीलार्थी न्यायालय स्वयं उपस्थित हुआ। अपीलार्थी को सुना तो उसने अवगत कराया कि अपीलार्थी ने आराजी खसरा नम्बर 1321/1630 रकवा 0.35 हेक्टर किस्म बरानी-1 पर से अपना कब्जा किया है। मोकें पर कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा अपीलार्थी ने इस आशय का शपथ पत्र भी दिया है तथा उक्त शपथ पत्र में भविष्य में अतिक्रमण आराजी पर कभी कब्जा नहीं करूंगा का भी शपथ है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने भविष्य में अतिक्रमण आराजी पर अतिक्रमण नहीं करने की शपथ भी दी है।

अपीलार्थी के विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें अपीलार्थी का आदेश तो यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण नायब कमिश्नर का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे स्वयं मोकें पर जाकर अपीलार्थी का अतिक्रमण आराजी पर वर्तमान फसल रबी में कब्जा काश्त रहा है अथवा नहीं। अपीलार्थी का कब्जा काश्त नहीं हो तो अपीलार्थी निर्णय में पारित सिविल कारावास की सजा निस्तारण समझे अन्यथा स्थिति में सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत रहेगा।
आदेश आज दिनांक 14/03/15 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.3.15
(ईश्वर सिंह राठौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

तहसील चौथ का बरवाडा